फैक्स / ई-मेल
स्पीड पोस्ट

(13)

पत्रांक– खा०आ० 01 / ज०वि०प्र० / 07 / 2011 4398

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग।

प्रेषक,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

/ राँची, दिनांक 04-09-15

विषयः– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत चयनित किये गये लाभुक / लाभुक परिवारों को सत्यापित कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जल्द ही लागू किया जाना है। इस अधिनियम के अन्तर्गत लाभुक / लाभुक परिवारों के चयन हेतु समय–समय पर विभाग द्वारा कई आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त क्रम में विभागीय संकल्प संख्या 3340, दिनांक 26.06.2015 का स्मरण किया जाय, जिसमें अपवर्जन मानकों के आधार पर सत्यापित लाभुक परिवारों के अतिरिक्त अलग से प्राप्त आवेदनों पर सम्यक जाँच की रीतियों का उल्लेख किया गया है। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि सभी जिलों में उक्त का अनुपालन किया गया होगा।

विदित हो कि राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का सफल क्रियान्वयन तभी संभव है जब इस अधिनियम के अन्तर्गत केवल पात्र लाभुक / लाभुक परिवार को ही खाद्यान्न वितरित की जाय। इसके लिए योग्य लाभुक / लाभुक परिवारों का ही चिन्हितिकरण किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्त परिपेक्ष्य में अनुरोध है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत SECC Data के आधार पर सत्यापित लाभुक / लाभुक परिवारों के अतिरिक्त प्राप्त आवेदनों की पुनः जाँच करते हुए यह आश्वस्त हो लिया जाय कि किसी भी परिस्थिति में अयोग्य लाभुक / लभुक परिवार सूची में न रहने पायें एवं योग्य लाभुक / लाभुक परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभों से वंचित न रहने पायें।

विश्वासभाजन,

(विनय कुमार चौबे),
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – खा०आ० 01 / ज०वि०प्र० / 07 / 2011 – 4398 / राँची, दिनांक – 04-09-15

प्रतिलिपि – विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची एवं जमशेदपुर / अपर समाहर्त्ता (आपूर्ति), धनबाद / सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।